न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 19/2021

अपीलार्थी–	*बनाम*	**उत्तरदाता–**
कुलदेवी खीमज माता (क्षेमकरी माता) खेतलाजी मन्दिर, माली समाज जेठन्तरी जरिये अध्यक्ष कुम्भाराम पुत्र धनाराम जाति माली निवासी जेठन्तरी तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर		नायब तहसीलदार समदड़ी

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 10.03.2021 जो प्रकरण सं. 03/2021 मे नायब तहसीलदार समदड़ी द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री पुरूषोतम सोलंकी, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री रतनाराम, राजकीय अधिवक्ता उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 10.05.2022

1\. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रकरण सं. 03/2021 सरकार बनाम कुम्भाराम में पारित निर्णय दिनांक 10.03.2021 के विरूद्ध पेश की गई है।

2\. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि पटवारी हल्का जेठन्तरी द्वारा नायब तहसीलदार समदड़ी के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा जेठन्तरी के [illegible] 3–03 बीघा किस्म गैर मुमकीन रास्ता में से 11[illegible] कुम्भाराम द्वारा पक्का कमरा व दुकान ब[illegible] कर लिया है जो [illegible] है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:26:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर बाड़मेर

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। गैर सायल द्वारा दौरान सुनवाई उपस्थित होकर अतिक्रमण होना स्वीकार किया। इस पर नायब तहसीलदार समदड़ी द्वारा गैर सायल को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 10.03.2021 के द्वारा 15/– रूपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 09.04.2021 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक एवं वाक्याती तथ्यों की भूल की है। अपीलाधीन खसरा नंबर 761 की 1150 वर्गफीट भूमि पर अतिचारी घोषित करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि उक्त भूखण्ड खेतलाजी मंदिर के पास में है और भक्त–भाविकों के विश्राम स्थल के रूप में उपयोग लिया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के इस जवाब का सही रूप में ऑब्जेक्टिव कन्सीडर किये बिना ही इसे अपीलांट का स्वीकारोक्ति जवाब मानते हुए उसे दोषी घोषित कर दिया गया। उपर्युक्त कार्यवाही में अपीलांट को न तो विधिवत रूप से साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया और न ही हलका पटवारी को साक्ष्य में तलब कर बयान एवं मौका रिपोर्ट इत्यादि को अभिलेख पर लिया गया।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने यह भी [illegible] किया कि ग्राम जेठन्तरी में सार्वजनिक भूमियों पर [illegible] अति[illegible] शिकायत की जांच हेतु तहसीलदार समदड़ी द्वारा आदेशित किये जाने पर हलका पटवारी जेठन्तरी द्वारा दिनांक 07.02.2021 को स्वयं तहसीलदार समदड़ी की उपस्थिति में

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:26:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

मौका देखकर राजकीय भूमियों का सीमाज्ञान किया गया। उक्त सीमाज्ञान की मौका फर्द रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि अपीलाधीन खसरा नंबर 761 गैर मुमकीन रास्ता की रकबा 3—03 बीघा भूमि में से 5700 वर्गफीट मे पुराना ग्राम पंचायत भवन बना हुआ है तथा मौके पर पंचायत के पास ग्रेवल रास्ता चालू हालत में है। हलका पटवारी द्वारा किया गया सीमाज्ञान आबादी क्षेत्र की भूमि का होने से सही एवं सुगमता से जरीब चलाने में कठिनाइयां आईं तथा इसके फलस्वरूप पैमाईश सही नहीं होने के कारण मंदिर की सुविधाओं के निर्माण को समीपस्थ अपीलाधीन खसरा नंबर 761 गैर मुमकिन रास्ता पर होना मान लिया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपूर्ण सीमाज्ञान के आधार पर पुख्ता सीमा निर्धारण के ही अपीलांट को अपीलाधीन भूखण्ड पर अतिचारी होना मान लिया गया, जो कि एक वाक्याती तौर पर त्रुटिपूर्ण हैं तथा निरस्त योग्य है। लिहाजा अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय को अपास्त किये जाने का आदेश फरमावें।

6. रेस्पोडेंट की ओर से जवाब मे पैरोकार सरकार ने प्रकट किया है कि पटवारी हल्का जेठन्तरी द्वारा नायब तहसीलदार समदड़ी के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा जेठन्तरी के खसरा नम्बर 761 रकबा 3—03 बीघा किस्म गैर मुमकीन रास्ता में से 1158 वर्गफीट भूमि पर गैर सायल कुम्भाराम द्वारा पक्का कमरा व दुकान बनाकर कर अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। गैर सायल द्वारा दौरान सुनवाई उपस्थित होकर [illegible] होना स्वीकार किया। इस पर नायब तहसीलदार [illegible] को [illegible]नाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 10.03.2021 के द्वारा 15/— रूपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:26:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश में किसी प्रकार की कोई विधिक या वाक्याती भूल नहीं होने से इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है लिहाजा अपीलांट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

7. हमने दोनो पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने इस अपील के द्वारा अपने कब्जा व अधिपत्य को ग्राम जेठन्तरी के गे0मु0 रास्ता भूमि पर पक्का कमरा व दुकान बनाकर जनहितार्थ उपयोग होना प्रकट किया है, किन्तु इसके सम्बन्ध में कोई स्वामित्व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है, जिससे यह साबित हों कि अपीलांट का कब्जा विधिवत हैं। इसके अलावा जहां तक उक्त रास्ता की भूमि पर ग्राम पंचायत का पंचायत भवन बना होना एवं आधिपत्य होने का प्रश्न है तो इसके आधार पर अपीलांट के अनाधिकृत कब्जे को विधिमान्य नहीं ठहराया जा सकता है। यद्यपि अपीलाधीन कार्यवाही से पूर्व तहसीलदार समदड़ी के नेतृत्व में राजस्व कार्मिकों की टीम द्वारा मौका जांच की गई हैं किन्तु इसके बावजूद भी यदि अपीलांट्स मुतनाजा कब्जा अपने स्वामित्व की भूमि पर होना मानता हैं तो इसके लिये पृथक से सीमाज्ञान करवाकर अपने स्वामित्व की भूमि की संतुष्टि कर सकता हैं। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उसे नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है तथा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई दिनांक 10.03.2021 को वह स्वंय उपस्थित हुआ है तथा आदेशिका पर उसकी उपस्थिति के हस्ताक्षर अंकित है। जब स्वंय अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ हैं तो उसे अपना जवाब / प्रतिरक्षण प्रस्तुत करना चाहिए था इसके बावजूद भी यदि मुतनाजा भूमि पर उसका कोई विधि सम्मत अधिकार है तो उसे इस अपील के संलग्न भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। इस [illegible]लांट द्वारा न तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं [illegible] समक्ष विवादित सरकारी भूमि पर अपने स्वामित्व अथवा आधिपत्य ह[illegible] अधिकार के बाबत कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है, ऐसे मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:26:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

आदेश के जरिये अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का जो निर्णय पारित किया गया है, उसमे हमारे मत से किसी प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नही की गई है। फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार समदड़ी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.03.2021 यथावत बहाल रखा जाकर पुष्ट जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाकर नायब तहसीलदार समदड़ी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन निर्णय के अनुक्रम मे नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करावें।

9. निर्णय आज दिनांक 10.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:26:09 IST
Reason: SelfAttested